(17)

कुलपति महोदय की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की मान्यता बोर्ड की दिनांक 01/09/2016 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सम्पन्न पंचम बैठक का कार्यवृत्त ।

बैठक में निम्नलिखित ने प्रतिभाग किया :-

प्रो0 नागेश्वर राव, कुलपति	अध्यक्ष
डॉ0 एस0के महापात्रा, कुलपति, ओडिशा, राज्य मुक्त विश्वविद्यालय	विशिष्ट आमंत्रित सदस्य
प्रो0 शंभूनाथ सिंह, निदेशक	सदस्य
प्रो0 एच0पी0 शुक्ल, निदेशक	सदस्य
प्रो0 गोविन्द सिंह, निदेशक	सदस्य
प्रो0 गिरिजा प्रसाद पाण्डे, निदेशक	सदस्य
प्रो0 दुर्गेश पंत, निदेशक	सदस्य
श्रीमती आभा गर्खाल, वित्त नियंत्रक	आमंत्रित सदस्य
डॉ0 देवेश कुमार मिश्र, सहायक निदेशक, आर0एस0डी0	आमंत्रित सदस्य
प्रो0 आर0सी0 मिश्र, निदेशक एवं कुलसचिव	सदस्य सचिव

डॉ0 एस0के0 गुप्ता, निदेशक, उ0 प्र0 रा0 ट0 मु0 वि0 वि0, इलाहाबाद, विशिष्ट आमंत्रित सदस्य तथा डॉ0 हेमन्त काण्डपाल, सहायक प्राध्यापक अपरिहार्य कारणों से बैठक में प्रतिभाग नहीं कर सके।

बैठक के आरम्भ में कुलसचिव/ सचिव मान्यता बोर्ड एवं कुलपति द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्य गणों का स्वागत करते हुए बैठक में भाग लेने हेतु सभी का आभार व्यक्त किया गया। मान्यता बोर्ड की गत बैठकों में परिषद द्वारा दिये गये निर्देशन / सुझावों के अनुसार की गयी कार्यवाही से विस्तृत रूप में परिषद को अवगत कराया गया। तदुपरान्त वर्तमान बैठक की कार्यसूची विचारार्थ प्रस्तुत की गयी ।

प्रस्ताव संख्या 5.1 **मान्यता बोर्ड की चतुर्थ बैठक दिनांक 24 जनवरी, 2014 के कार्य वृत्त की पुष्टि।**

मान्यता बोर्ड की चतुर्थ बैठक दिनांक 24 जनवरी, 2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

कुल सचिव

प्रस्ताव संख्या 5.2 अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु नियमावली के निम्नलिखित नवीन प्रस्तावित बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा के उपरान्त निम्नलिखित अनुमोदन प्रदान किये गये:-

- **सामान्य नियम (पृष्ठांक 1- 10)**

उक्त प्रस्ताव की प्रथम बिन्दु के अन्तर्गत दी गयी संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित अनुमोदन प्रदान किए गये:-

1. सरकार द्वारा स्थापित, अनुदानित अथवा मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थाएँ / स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थाएं / सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में पंजीकृत तथा उच्च शिक्षा / व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त अन्य संस्थाएं इस हेतु आवेदन कर सकती हैं।
2. व्यावसायिक (Vocational / कौशल विकास पाठ्यक्रमों (Skill development programmes) हेतु सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं भी आवेदन कर सकती हैं।
3. सशस्त्र बलों (Armed Forces)/ सुरक्षा बलों (Security forces)/ जेल के कैदियों (Jail Inmates)/ दिव्यांगों (differently abled) के लिए विशेष अध्ययन केन्द्र खोले जा सकते हैं।
4. केवल दिव्यांगों के लिए कार्य करने वाली भारतीय पुनर्वास परिषद (Rehabilitation Council of India) से मान्यता प्राप्त पूर्णकालिक संस्थाओं को परीक्षण शुल्क तथा धरोहर राशि में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
5. यह नियमावली, ''नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना, पूर्व में स्थापित केन्द्रों के नवीनीकरण तथा नये या पूर्व में स्थापित अध्ययन केन्द्रों को नवीन पाठ्यक्रम आबंटन हेतु विश्वविद्यालय कार्य परिषद की चौदहवीं बैठक (दिनांक 09/09/2016) में अनुमोदन के उपरान्त तत्काल प्रभाव से लागू होगी।''
6. आवेदन शुल्क, परीक्षण शुल्क एवं धरोहर राशि बैंक चालान के माध्यम से जमा की जायेगी तथा वित्त अनुभाग द्वारा इस हेतु अलग से बैंक खाता खोलकर वित्तीय संचालन किया जायेगा।

- **अध्ययन केन्द्र को भुगतान की प्रस्तावित दरें (पृष्ठांक 11 –13)**

अध्ययन केन्द्र को भुगतान की प्रस्तावित दरों की संस्तुतियों पर सम्यक् विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया तथा सराहना भी की गयी।

- **आवेदन एवं शपथ पत्र (पृष्ठांक 14 –22)**

प्रस्ताव के तृतीय बिन्दु के अन्तर्गत दी गयी संस्तुतियों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी तथा प्रस्तावित तथ्यों को यथावत स्वीकार किया गया।

169

- **समझौता ज्ञापन (MOU) (पृष्ठांक 35 – बिन्दु 3.1)**

प्रस्ताव की चतुर्थ बिन्दु में कथित तथ्य पर दी गयी संस्तुति के विषय में विस्तृत चर्चा के पश्चात यथावत स्वीकार किया गया।

प्रस्ताव संख्या 5.3 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य प्रस्ताव।

अध्ययन केन्द्र खोलने, स्थगित करने एवं बन्द करने के निर्णय मान्यता बोर्ड द्वारा ही लिए जायेंगे, इस प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गयी।

अध्ययन केन्द्रों की वर्तमान सूची भी सदस्यों के अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी।

उक्त समस्त प्रस्तावों पर दिशानिर्देश के साथ ही अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु नियमावली – 2016 का अनुमोदन किया गया।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त सम्पन्न हुई।

06.9.16

(आर0सी0 मिश्र)

कुलसचिव/ सदस्य सचिव

कुल सचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

अनुमोदित

प्रो० नागेश्वर राव
कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी, जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)